



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080

+919068806410



www.vajiraoinstitute.com

info@vajiraoinstitute.com



TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(26 September 2023)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- NGO के विदेशी फंडिंग से जुड़ा FCRA कानून क्या है?
- कावेरी जल-बंटवारे का मुद्दा फिर क्यों गरमा गया है?
- जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से दूषित पानी समुद्र में छोड़ने का मुद्दा

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080

+919068806410



www.vajiraoinstitute.com

info@vajiraoinstitute.com



NGO के विदेशी फंडिंग से जुड़ा FCRA कानून क्या है?

चर्चा में क्यों है?

- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 25 सितंबर को नियमों में संशोधन कर गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और संघों से विदेशी योगदान से बनाई गई चल और अचल संपत्तियों की घोषणा करने को कहा।



- उल्लेखनीय है कि गैर सरकारी संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकरण अनिवार्य है।
- 25 सितंबर को अधिसूचित संशोधन नियमों के अनुसार, मौजूदा नियमों में दो नए जोड़े गए हैं जहां एनजीओ को वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक संपत्ति का विवरण घोषित करना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि 2011 से अस्तित्व में आए नियमों में आखिरी बार 2022 में संशोधन किया गया था।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



FCRA क्या है?

- FCRA को 1976 में इस आशंका के बीच अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में धन पंप करके भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही थीं।
- इस कानून में व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की गई ताकि वे "एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप" तरीके से कार्य कर सकें।
- 2010 में UPA सरकार के तहत विदेशी धन के उपयोग पर "कानून को मजबूत करने" और "राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधियों" के लिए उनके उपयोग को "रोकने" के लिए एक संशोधित FCRA अधिनियमित लाया गया था।
- वर्तमान सरकार द्वारा 2020 में कानून में फिर से संशोधन किया गया, जिससे गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उसके उपयोग पर सरकार तंत्र को सख्त नियंत्रण और जांच की शक्ति मिल गई।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



FCRA के प्रमुख तत्व:

- मोटे तौर पर, FCRA के लिए विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या NGO को:
 - (i) अधिनियम के तहत पंजीकृत होना होगा,
 - (ii) भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली में विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाता खोलना होगा, और
 - (iii) उन निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है और जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है।
- उन्हें वार्षिक रिटर्न दाखिल करना भी आवश्यक है, और उन्हें किसी अन्य NGO को धनराशि हस्तांतरित नहीं करनी चाहिए।
- यह अधिनियम चुनाव के उम्मीदवारों, पत्रकारों या समाचार पत्र और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों, विधायिका और राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके पदाधिकारियों और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



FCRA पंजीकरण कैसे किया जाता है?

- जो NGO विदेशी फंड प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- FCRA पंजीकरण उन व्यक्तियों या संघों को दिया जाता है जिनके पास निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम हैं।
- NGO द्वारा आवेदन के बाद, गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से आवेदक के पूर्ववृत्त की जांच करता है, और तदनुसार आवेदन पर कार्रवाई करता है।
- **FCRA के तहत आवेदक के लिए कुछ शर्तें:**
 - आवेदक काल्पनिक या बेनामी नहीं होना चाहिए;
 - एक धार्मिक विश्वास से दूसरे धार्मिक विश्वास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या बल के माध्यम से रूपांतरण के उद्देश्य से गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए या दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए;
 - आवेदक पर सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया हो या दोषी नहीं ठहराया गया हो;

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- धन के हेराफेरी या दुरुपयोग का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए; और
- राजद्रोह के प्रचार-प्रसार में संलग्न नहीं होना चाहिए या संलग्न होने की संभावना नहीं होनी चाहिए।

मंजूरी कितने समय के लिए दी जाती है?

- एक बार अनुमति मिलने के बाद, FCRA पंजीकरण पांच साल के लिए वैध होता है। गैर सरकारी संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे पंजीकरण की समाप्ति की तारीख के छह महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। नवीनीकरण के लिए आवेदन न करने की स्थिति में पंजीकरण समाप्त माना जाएगा।
- ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित करीब 5,900 NGO का FCRA पंजीकरण पिछले साल 31 दिसंबर को समाप्त हो गया था। सूत्रों के अनुसार, नियत तिथि से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहने के बाद 5,789 NGO का पंजीकरण समाप्त हो गया था।
- बाकी, जिन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि गृह मंत्रालय ने पाया कि उनके संचालन या खाते FCRA का उल्लंघन कर रहे थे।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



किन NGO पर FCRA प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है?

- कम्पैशन इंटरनेशनल, ग्रीनपीस इंडिया, सबरंग ट्रस्ट, लॉयर्स कलेक्टिव, एमनेस्टी इंटरनेशनल और फोर्ड फाउंडेशन जैसे कई अंतरराष्ट्रीय और प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन FCRA के कथित उल्लंघन के लिए सरकार की जांच के दायरे में आ गए हैं।
- अधिकांश पर पंजीकरण रद्द करने के लिए वित्तीय अनियमितताओं या "राजनीतिक गतिविधि" का आरोप लगाया गया है।
- 2018 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वित्तीय लेनदेन में शुरू की गई जांच के बाद एमनेस्टी को 2020 में भारत में अपना ऑपरेशन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- कई बैंक खाते खोलने और धन की आवाजाही के आधार पर 2015 में FCRA पंजीकरण रद्द होने के बाद ग्रीनपीस इंडिया ने अपना परिचालन कम कर दिया है।
- वकील इंदिरा जयसिंह का NGO लॉयर्स कलेक्टिव CBI जांच का सामना कर रहा है। 2016 में, गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर "राजनीतिक उद्देश्यों" के लिए विदेशी योगदान का उपयोग करने के लिए NGO का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट का एफसीआरए पंजीकरण 2016 में कथित तौर पर विदेशी और घरेलू फंडों के मिश्रण और कम्युनलिज्म कॉम्बैट पत्रिका के प्रकाशन पर धन खर्च करने के आरोप में रद्द कर दिया गया था।
- अप्रैल 2015 में, गृह मंत्रालय ने फोर्ड फाउंडेशन को "पूर्व अनुमोदन श्रेणी" के तहत रखा, जिसका मतलब था कि संगठन से भारत में प्राप्तकर्ताओं तक सभी धनराशि सरकार द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी।
- 2016 में, कंपैशन इंटरनेशनल को सरकार द्वारा धर्मांतरण के आरोपों पर भारत में गैर सरकारी संगठनों को वित्त पोषित करने से रोक दिया गया था।

क्या FCRA का इस्तेमाल कुछ NGO को निशाना बनाने के लिए किया गया है?

- 2011 तक, भारत में FCRA के तहत 40,000 से अधिक एनजीओ पंजीकृत थे। वह संख्या अब 16,000 है। पिछले कुछ सालों में सरकार पर NGO को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं।
- पिछले सात वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने 16,700 से अधिक NGO का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इनमें से 10,000 से अधिक रद्दीकरण 2015 में किए गए थे।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080

+919068806410

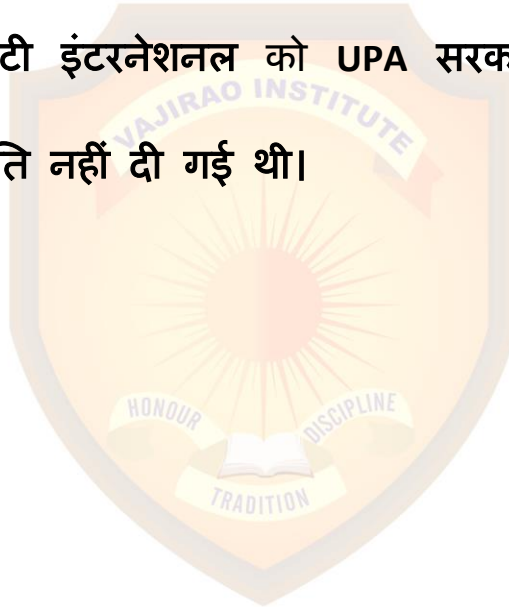


www.vajiraoinstitute.com

info@vajiraoinstitute.com



- पिछली UPA सरकार ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद गैर सरकारी संगठनों पर कार्रवाई की थी। 2012 में, मनमोहन सिंह सरकार ने लगभग 4,000 NGO का पंजीकरण रद्द कर दिया।
- UPA सरकार के तहत ही ग्रीनपीस इंडिया पहली बार सवालियों के घरे में आया था। इसके अलावा, एमनेस्टी इंटरनेशनल को UPA सरकार द्वारा इसके पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी गई थी।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080
+919068806410



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



कावेरी जल-बंटवारे का मुद्दा फिर क्यों गरमा गया है?

संदर्भ:

- वर्ष 2018 में 200 साल पुराने विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बावजूद, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल-बंटवारे का मुद्दा फिर से गरमा गया है। इस बार इसका कारण कर्नाटक में नदी के जलग्रहण क्षेत्र में कम वर्षा है।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- कई कन्नड़ समर्थक संगठनों, किसान समूहों और श्रमिक संघों ने विपक्षी राजनीतिक दलों के समर्थन से आज (26 सितंबर) बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया है। यह प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ने के 21 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस सरकार के विरोध में है।
- प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि तमिलनाडु में पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून करीब है और कर्नाटक में कावेरी बेसिन के जलाशयों में भंडारण का स्तर बहुत कम है। कावेरी बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी और राज्य के मांड्या क्षेत्र में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत है।

SC के 2018 फैसले के बावजूद विवाद क्यों खड़ा हुआ?

- कर्नाटक और तमिलनाडु में राजनीतिक दलों का तर्क यह है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में केवल सामान्य मानसून वर्ष के लिए जल-बंटवारे के मानदंडों को बताया गया है वर्तमान वर्ष की तरह संकटपूर्ण वर्ष के लिए नहीं है, जिसमें सामान्य से 30 प्रतिशत से अधिक कम वर्षा हो रही है।
- उल्लेखनीय है कि जून में शुरू हुए मानसून के चार महीनों में से अगस्त और सितंबर में बारिश कर्नाटक के लिए पिछले 123 वर्षों में सबसे कम रही है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला क्या था?

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी 2018 के आदेश में कर्नाटक को 14.75 TMC पानी का अतिरिक्त हिस्सा दिया और तमिलनाडु के हिस्से में इतनी ही कमी कर दी।
- हर साल साझा किए जाने वाले 740 TMC कावेरी जल में से, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को 404.25 TMC, कर्नाटक को 284.75 TMC पानी देने का फैसला सुनाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम अदालती आदेशों के ढांचे के भीतर दोनों राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA)' और 'कावेरी जल नियामक समिति (CWRC)' के गठन का भी आदेश दिया।

वर्तमान संकट कैसे विकसित हुआ है?

- 2018 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, कर्नाटक को जून और सितंबर के बीच तमिलनाडु को 123.14 TMC पानी जारी करना है। इस साल, कर्नाटक ने राज्य में संकट की स्थिति का हवाला देते हुए 23 सितंबर तक केवल 40 TMC पानी छोड़ा था।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



कर्नाटक में कावेरी बेसिन जलाशयों में भंडारण की स्थिति क्या है?

- कावेरी बेसिन के चार जलाशय - कृष्णा राजा सागर, काबिनी, हेमवती और हरंगी - 23 सितंबर तक अपने आधे भंडारण स्तर पर थे। कुल भंडारण क्षमता 104.5 TMC के मुकाबले इन जलाशयों में कुल 51.1 TMC पानी था।
- कर्नाटक सरकार के अनुसार, राज्य को जून 2024 तक कुल 112 TMC पानी (खड़ी फसलों की सिंचाई के लिए 79 TMC और बेंगलुरु को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 33 TMC) की आवश्यकता होगी।
- कर्नाटक सरकार ने तर्क दिया है कि कर्नाटक में दक्षिण-पश्चिम मानसून के समाप्त होने के साथ, कावेरी बेसिन जलाशयों में शेष पानी को पीने के पानी और सिंचाई उद्देश्यों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।
- कर्नाटक ने यह भी तर्क दिया है कि तमिलनाडु को अक्टूबर और नवंबर के बीच लौटते पूर्वोत्तर मानसून में वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होगा, जबकि कर्नाटक को जून से सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून महीनों में मुख्य वर्षा प्राप्त होती है।

क्या दोनों राज्यों के मध्य वर्तमान जल संकट पिछले वर्षों से भिन्न है?

- मौजूदा कावेरी जल संकट 1991, 2002, 2012 और 2016 में देखे गए संकट के समान है। हालांकि, अंतर यह है कि यह 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवाद के अंतिम समाधान के बाद आया है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- इसके अलावा, अतीत में, कावेरी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप हिंसा हुई थी, क्योंकि मुख्यधारा के राजनीतिक दल अंधस्थानीयवादी रुख अपनाकर मतदाताओं के बीच लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।
- जबकि, हाल के वर्षों में, कर्नाटक में राजनेताओं ने अधिक सौहार्दपूर्ण रुख अपनाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मांड्या में किसान कम पानी वाली फसलें उगा रहे हैं और नई पीढ़ियां कृषि से दूर जा रही हैं, इसलिए कावेरी मुद्दे को उतना भावनात्मक नहीं माना जाता जितना तीन दशक पहले था।

आगे का रास्ता क्या है?

- अब समय आ गया है कि 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA)' अपने घटकों के साथ मिलकर एक संकटकालीन साझाकरण फॉर्मूले को अंतिम रूप दे।
- ऐसे फॉर्मूले को निर्धारित करने वाले मापदंडों की पसंद पर मतभेद रहे हैं। ऐसे में वर्तमान संकट का उपयोग करते हुए, प्राधिकरण को प्रस्तावित फॉर्मूला विकसित करने में सभी हितधारकों को समझाने की पहल करनी चाहिए।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918171181080

+919068806410



www.vajiraoinstitute.com

info@vajiraoinstitute.com



जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से दूषित जल समुद्र में छोड़ने का मुद्दा:

संदर्भ:

- पिछले महीने, जनता और पड़ोसी देशों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच, जापान ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से दूषित पानी समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया।

क्या मामला है?

- 13 अप्रैल, 2021 को जापान सरकार ने अगले 30 वर्षों में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से दस लाख टन से अधिक दूषित पानी समुद्र में छोड़ने की योजना की घोषणा की।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- यह अपशिष्ट जल 2011 के विनाशकारी भूकंप और सुनामी का उपोत्पाद है, जिसने फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अक्षम कर दिया, जिससे रेडियोधर्मी सामग्री जारी हुई।
- इस अपशिष्ट जल को संग्रहीत करने के एक दशक से अधिक समय के बाद, जापान का कहना है कि उनके पास भंडारण स्थान खत्म हो रहा है, और अब यह उपचारित पानी समुद्र में छोड़े जाने के लिए सुरक्षित है।

जापान के इस फैसले पर लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रही है?

- हालांकि, 2021 में घोषणा के बाद से, जनता का एक बड़ा हिस्सा, घरेलू और पड़ोसी देशों के, इस निर्णय के खिलाफ बोल रहे हैं, यह दावा करते हुए कि समुद्र में रेडियोधर्मी सामग्री मिलाने से बड़े स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं, खासकर जब से ये देश समुद्री भोजन पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- बहुसंख्यकों के भीतर भय बना हुआ है। सितंबर में जापान के जिजी प्रेस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 16.3% उत्तरदाता उपचारित पानी के निर्वहन के विरोध में हैं, और 30.8% न तो विरोध में थे और न ही इसके पक्ष में थे।
- इस जल के छोड़े जाने के खिलाफ सियोल में कई विरोध प्रदर्शन हुए और रिहाई से पहले कई लोगों ने समुद्री भोजन इकट्ठा कर लिया। कुछ सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 80-85% दक्षिण कोरियाई लोग पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- चीनी सरकार, जो घोषणा के बाद से ही जापान के फैसले के खिलाफ है, पहले ही जापान से समुद्री भोजन पर प्रतिबंध लगा चुकी है।

क्या यह जल सुरक्षित है?

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की सुरक्षा समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला है कि *“फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन में संग्रहीत उपचारित पानी को समुद्र में छोड़ने की जापान की योजना आईएईए सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।*
- एक रिपोर्ट में, IAEA ने यह भी कहा कि उपचारित पानी के छोड़े जाने से लोगों और पर्यावरण पर नगण्य रेडियोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा।
- यह रिपोर्ट ग्यारह देशों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी गई एजेंसी के शीर्ष विशेषज्ञों से बनी IAEA टास्क फोर्स के लगभग दो वर्षों के काम का परिणाम है।
- ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एम. वी. रमन्ना का कहना है कि, हालांकि, वैज्ञानिक रूप से, अपशिष्ट जल में विकिरण का स्तर इतना अधिक नहीं है कि घबराहट पैदा हो, लेकिन ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि विकिरण का जोखिम, यहां तक कि निम्न स्तर पर भी, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



इसका क्षेत्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

- जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने जल उपचार प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए डिस्चार्ज शुरू होने के बाद सार्वजनिक रूप से समुद्री भोजन खाया।
- विशेष रूप से दक्षिण कोरिया के साथ संबंध बनाए रखने में जापान के लिए एक प्रमुख कारक उपचार और रिहाई प्रक्रिया पर पारदर्शिता रहा है। IAEA द्वारा बार-बार सांत्वना देने के बाद दक्षिण कोरिया की सरकार ने लोगों से कहा है कि पानी और समुद्री भोजन सुरक्षित है।
- दक्षिण कोरिया और जापान के लिए, यह पानी, स्वास्थ्य समस्याओं की तुलना में अधिक भू-राजनीतिक समस्याएं पैदा कर सकता है। उल्लेखनीय कि जापान ने 20वीं सदी की शुरुआत में कोरियाई प्रायद्वीप को उपनिवेश बना लिया था और उस समय के तनाव आज भी संबंधों में तनाव पैदा कर रहे हैं।
- लेकिन दोनों नेता मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, विशेष रूप से उनके अधिक आक्रामक पड़ोसियों, चीन और उत्तर कोरिया द्वारा पेश किए जाने वाले संभावित खतरों को देखते हुए।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- जोखिमों और उठाए गए कदमों पर पारदर्शिता बनाए रखने से जापान की नीति से मदद मिली है। 2021 से, जापानी अधिकारियों ने उपचार और रिहाई योजना पर चर्चा करने के लिए दक्षिण कोरिया और चीन और यहां तक कि रूस जैसे अपने क्षेत्रीय समकक्षों से मुलाकात की है।

चीन की कड़ी प्रतिक्रिया का क्या महत्व है?

- चीन की प्रतिक्रिया को व्यापक भू-राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। जापान-चीन संबंधों में हाल के दिनों में बार-बार उतार-चढ़ाव आया है, खासकर जब चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है।
- इससे दोनों पक्षों में अधिक राष्ट्रवादी भावनाएँ उत्पन्न हो गई हैं, जिससे यह अपशिष्ट जल मुद्दा उल्लेखनीय हो गया है, लेकिन आवश्यक रूप से नया नहीं है।
- दक्षिण कोरिया और जापान के मजबूत होते रिश्ते पर चीन की भी नजर है। बेशक, चीन दक्षिण कोरिया और जापान के बीच बढ़ती मित्रता को लेकर सहज नहीं है।

आगे क्या होगा?

- जापान अगले 30 वर्षों में उपचारित अपशिष्ट जल छोड़ेगा, और समुद्री जल के विकिरण की निगरानी करना जारी रखेगा।
- जापान सरकार उन मछुआरों को मुआवज़ा देने के लिए 80 अरब येन भी अलग रख रही है जो सार्वजनिक भय के कारण व्यवसाय खो देंगे।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)